



दिनांक	आज्ञा पत्र	
28/11/22	<p>पत्रावली पर) वकील अपील न उपास्थित हाव जाहिर किया कि वो अपील चलाना नहीं चाहते हैं अत अपील नोट प्रेस में खारिज की जाये। हमने वकील अपीलाट से आदेशिका पर हस्ताक्षर करवाये कि वे अपील नोट प्रेस में खारिज होने में सहमत है। फलस्वरूप अपील अपील नोट प्रेस में खारिज की जाती है निर्णय सारे अलास सुनाया गया। प्रकरण फंसल सुनार होकर नम्बर से कर होकर बाद तरतीब वकमीत वाकिफ करना हो।</p> <p> अनिल कुमार II RAS भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर (कैम्प झुन्डुनू)</p>	<p> Not prepared K</p>